

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 23 अक्टूबर, 2020

विषय- ओबरा-सी बदायूँ ट्रांसमिशन लि० द्वारा प्रस्तावित 400 के०वी० डबल सर्किट जौनपुर-ओबरा पारिषद लाइन के निर्माण में मीरजापुर वन प्रभाग में प्रभावित 46.778 हे० आरक्षित व 0.101 हे० संरक्षित वनभूमि (46.879 हे० वनभूमि) के गैरवानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 364 वृक्षों एवं 494 बांस कोटी में से 238 वृक्षों एवं 290 बांस कोटी के पातन, ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 2.434 हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग, जौनपुर वन प्रभाग की 0.518 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 28 वृक्षों में से 16 वृक्षों के पातन, वाराणसी वन प्रभाग में प्रभावित 0.265 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 03 वृक्षों के पातन की अनुमति एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग मीरजापुर में प्रभावित 39.536 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 585 वृक्षों एवं 17 बांस कोटी में से 310 वृक्षों व 09 बांस कोटी के पातन अर्थात् कुल 88.748 हे० आरक्षित एवं 0.884 हे० संरक्षित कल योग-89.632 हे० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 980 वृक्षों 511 बांस कोटी में से कुल 567 वृक्षों/पौधों एवं 299 बांस कोटी के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

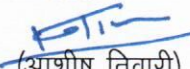
(प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/Trans/40906/2019)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-8बी/यूपी/04/90/2020/एफ.सी/875, दिनांक 08.09.2020 एवं पत्र संख्या-8बी/यूपी/04/90/2020/एफ.सी/948, दिनांक 08.10.2020 के सन्दर्भ में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-923/11-सी-एफपी/यूपी/Trans/40906/2019, दिनांक 19.10.2020 द्वारा उपलब्ध करायी गई आख्या/अभिलेख संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

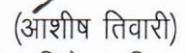

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव